

## छत्तीसगढ़ में 'अवैध धर्मांतरण' रोकने के लिये बनेगा कानून

### चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में "[अवैध धार्मिक रूपांतरण](#)" को रोकने के लिये कानून लाने की योजना बना रही है।

### मुख्य बटु:

- इन गतविधियों को रोकने के लिये, '[धरुड की स्वतंत्रता \(संशुधन\) वधियक](#)' नामक एक धरुडंतरण वरिधी वधियक प्रसुतुत कयिा जाएगा।
- CM वषिणुदेव साय के अनुसार, [ईसाई मशिनरथिँ](#) स्वास्थय सेवा और शकषिा की आडु में धरुडंतरण करा रही थी।
- सरकार ने धुषणा की कविह बलपूरवक या प्रलोभन दवारा धरुडंतरण को समाप्त कर देगी।

### धरुड की स्वतंत्रता

- प्रत्येक नागरकि को अपनी पसंद के धरुड का प्रचार और अभ्यास करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता है।
  - यह अधिकार सरकारी हसुतकषेप के डर के बनिा इसे सभी के बीच फैलाने का अवसर भी प्रदान करता है।
  - लेकनि साथ ही, राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कविह देश के अधिकार कषेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करे।
- **धरुड की स्वतंत्रता से संबंधति संवैधानकि प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 25:** यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धरुड को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने तथा प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 26:** यह धार्मकि मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
  - **अनुच्छेद 27:** यह कसिी वशिष धरुड के प्रचार के लिये करों के भुगतान की स्वतंत्रता नरिधारति करता है।
  - **अनुच्छेद 28:** यह कुछ शकषणकि संस्थानों में धार्मकि शकषिा या धार्मकि पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है।

### धरुड की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायकि धुषणाएँ

- **बजिोय इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):**
  - इस मामले में, यहोवा के साकषी संप्रदाय के तीन बच्चों को स्कूल से नलिंबति कर दयिा गया क्योककि उनहोंने यह दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से मना कर दयिा कयिह उनके वशिवास के सदिधांतों के खलिाफ है। न्यायालय ने माना कयि नरिषिकासन मौलकि अधिकारों और धार्मकि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
- **आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलसि आयुक्त, कलकत्ता (1983):**
  - न्यायालय ने माना कयि आनंद मार्ग एक अलग धरुड नहीं बलककि एक धार्मकि संप्रदाय है और सार्वजनकि सडकों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक अनविर्य अभ्यास नहीं है।
- **एम. इसमाइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994):**
  - शीरष न्यायालय ने कहा कयि मसजदि इस्लाम की अनविर्य प्रथा नहीं है और एक मुसलमान कहीं भी, यहाँ तक कयिखुले में भी नमाज़ पढ़ सकता है।
- **राजा बीराकशिोर बनाम उडीसा राज्य (1964):**
  - जगन्नाथ मंदिर अधनियिम, 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी क्योककि इसने पुरी मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिये प्रावधान इस आधार पर बनाए थे कयिह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने माना कयि अधनियिम केवल सेवा पूजा के धरुडनरिपेक्ष पहलू को वनियिमति करता है, इसलिये, यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है।

